



Neutral Citation No. - 2026:AHC:2773

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या - 45784 वर्ष 2025

राहुल राजपूत आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य विपक्षी (गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : संजीव कुमार पाण्डेय

विपक्षी पक्ष(गण) के अधिवक्ता : शा.अधि.

न्यायालय संख्या - 66

माननीय न्यायमूर्ति कृष्ण पहल

1. वाद-सूची की पुनः पुकार कराई गई है।
2. श्री संजीव कुमार पाण्डेय, आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता तथा श्री जय किशन चौरसिया, विद्वान राज्य विधि अधिकारी को सुना गया एवं अभिलेख का अवलोकन किया गया।
3. आवेदक, मुकदमा अपराध संख्या 437 वर्ष 2025, धारा 103(1) भारतीय न्याय संहिता, थाना कोतवाली, जिला मथुरा के अंतर्गत, विचारण के लंबित रहने की अवधि में जमानत चाहता है।
4. अभियोजन का आरोप है कि आवेदक के मृतक के साथ अवैध संबंध थे और उसने दिनांक 16.07.2025 को मृतक को अपने किराये के कमरे में बुलाया था, जहाँ कथित रूप से विवाद हुआ और बाद में उक्त कमरे से शव बरामद हुआ।
5. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि आवेदक निर्दोष है और वर्तमान मामले में उसे झूठा फंसाया गया है। संबंधित समय में वह घटनास्थल पर उपस्थित नहीं था और उसकी उपस्थिति दिखाने का कोई साक्ष्य नहीं है। यह भी तर्क दिया गया है कि केवल कमरे का किरायेदार होना दोष का आधार नहीं हो सकता। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 109 के अंतर्गत उपधारणा तभी उत्पन्न हो सकती है जब अभियोजन पहले घटनास्थल पर आवेदक की उपस्थिति स्थापित करे, जो एफआईआर से भी स्पष्टतः अनुपस्थित है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



6. विद्वान अधिवक्ता ने यह भी कहा है कि आवेदक दिनांक 17.07.2025 से जेल में बंद है तथा उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। यदि आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा तथा विचारण में सहयोग करेगा।
7. इसके विपरीत, विद्वान राज्य विधि अधिकारी ने इस आधार पर जमानत आवेदन का कड़ा विरोध किया है कि मृतक एक 24 वर्षीया युवती थी और उसका शव केवल आवेदक के किराये के कमरे से बरामद हुआ है, अतः आवेदक पर यह दायित्व है कि वह स्पष्ट करे कि मृतक की उसके कमरे में मृत्यु कैसे हुई।
8. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने के पश्चात तथा इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए कि मृतक का शव आवेदक के कमरे में मिला था, मैं इसे आवेदक को जमानत पर रिहा करने का उचित मामला नहीं पाता।
9. तदनुसार जमानत आवेदन **अस्वीकार** किया जाता है।
10. तथापि, यह निर्देशित किया जाता है कि विचारण न्यायालय के समक्ष लंबित उक्त मामले को, यदि कोई विधिक बाधा न हो, माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **विनोद कुमार बनाम पंजाब राज्य; 2015 (3) एससीसी 220 तथा हुसैन एवं अन्य बनाम भारत संघ; (2017) 5 एससीसी 702** के हाल के निर्णयों में प्रतिपादित सिद्धांत के आलोक में शीघ्रता से निर्णीत किया जाए।
11. यह स्पष्ट किया जाता है कि यहाँ की गई टिप्पणियाँ केवल जमानत आवेदन के निस्तारण हेतु पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत तथ्यों तक सीमित हैं और उक्त टिप्पणियाँ विचारण के दौरान मामले के गुण-दोष पर कोई प्रभाव नहीं डालेंगी।

(न्यायमूर्ति कृष्ण पहल)

7 जनवरी, 2026

सिद्धांत